

पत्रक  
(नियम 13)


**General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9}**  
**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ**

पीठासीन अधिकारी दमयंती कवर आर.ए.एस.

महावीर वर्मा पुत्र श्री चन्द्राराम जाति कुमावत निवासी निवाई तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू	-बनाम-	रामलाल पुत्र मोगाराम जाति जाट निवासी निवासी निवाई तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू आदि।
किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा	मु.नं. 28.../2022	RCMS No


आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
------	-----------------	---------------------------------

28.03.22 आज यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदक की ओर से वकील श्री दयाराम सैनी द्वारा पेश किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तलबी अनावेदकगण जारी हो। प्रतिवादीगण तहसील क्षेत्र नवलगढ के बाहर होने पर तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक वादी के खर्चे पर जारी हो। पत्रावली आयन्दा दिनांक 08.06.2022 को पेश हो।

  
दमयंती कवर (R.A.S.)  
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)

1.6.22

प्रार्थना पत्र मिसल तलबी का पेश होने पर पत्रावली आज पेश कर तलब की गई। आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आवेदक अपने प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहता है तथा अपने वाद को विद्वा करना चाहता है। आवेदक की पहचान वकील वादी द्वारा की गई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। आवेदक का प्रार्थना पत्र में कथन उचित प्रतीत होने से आवेदक का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमली जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)  
नवलगढ

28/06/22

